

किसान क्रेडिट कार्ड और गैर-कृषि गतिविधियों में निवेश: रोहतक जिले के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में

रेखा रानी, डॉ. शिवकुमार

शोधार्थी, श्री जे जे टी विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं

शोध निर्देशक, श्री जे जे टी विश्वविद्यालय, झुन्झुनूं

सारांश

यह शोध पत्र हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना की गैर-कृषि गतिविधियों में निवेश पर भूमिका का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य केसीसी के माध्यम से उपलब्ध ऋण का उपयोग किसानों द्वारा गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे छोटे उद्योग, पशुपालन की सहायक गतिविधियां, ग्रामीण व्यापार आदि में निवेश के लिए कैसे किया जा रहा है, तथा इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का मूल्यांकन करना है। शोध में 80 किसानों का नमूना लिया गया है, जिसमें एनोवा (ANOVA) परीक्षण का उपयोग किया गया है। परिणाम दर्शाते हैं कि केसीसी धारक किसान गैर-कृषि निवेश में अधिक सक्रिय हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। प्रमुख निष्कर्षों में केसीसी की पहुंच में सुधार की आवश्यकता तथा गैर-कृषि निवेश से आय वृद्धि शामिल है।

कीवर्ड : किसान क्रेडिट कार्ड, गैर-कृषि निवेश, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोहतक जिला, एनोवा।

परिचय

भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार परंपरागत रूप से कृषि रहा है, जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय का प्रमुख स्रोत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों का योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। हालांकि, हाल के दशकों में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधीकरण देखा गया है, जहां गैर-कृषि गतिविधियों जैसे छोटे उद्योग, सेवा क्षेत्र, पशुपालन, ग्रामीण पर्यटन, और हस्तशिल्प का महत्व बढ़ा है। ये गतिविधियां न केवल ग्रामीण रोजगार के अवसरों को बढ़ाती हैं, बल्कि आय के स्रोतों को भी विविधीकृत करती हैं, जिससे ग्रामीण समुदायों की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता में सुधार होता है।

इस संदर्भ में, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण के रूप में उभरी है। 1998 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा शुरू की गई यह योजना मूल रूप से किसानों को कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए सस्ता और सुलभ ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से थी। समय के साथ, इस योजना के दायरे का विस्तार हुआ और अब यह गैर-कृषि गतिविधियों जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, और छोटे पैमाने के उद्यमों के लिए भी ऋण प्रदान करती है। केसीसी योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और किसानों को औपचारिक वित्तीय संस्थानों से जोड़ा है, जिससे उनकी अनौपचारिक साहूकारों पर निर्भरता कम हुई है।



हरियाणा के रोहतक जिले में, जहां कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, केसीसी का उपयोग न केवल कृषि उत्पादन के लिए, बल्कि गैर-कृषि क्षेत्रों में निवेश के लिए भी बढ़ रहा है। रोहतक जिला हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित है और इसकी कुल कृषि योग्य भूमि लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर है। जिले में गेहूं, धान, गन्ना, और कपास जैसी फसलों का उत्पादन प्रमुख है। इसके बावजूद, ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां, पशुपालन जैसे डेयरी फार्मिंग, और सेवा क्षेत्र जैसे छोटे खुदरा व्यवसाय में निवेश बढ़ रहा है। ये गतिविधियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अधिक लचीला और समावेशी बनाने में योगदान दे रही हैं।

हालांकि, रोहतक जिले में केसीसी की संख्या में वृद्धि के बावजूद, इसके गैर-कृषि निवेश पर प्रभाव का गहन अध्ययन अभी तक सीमित रहा है। सांख्यिकी के अनुसार, 2020 तक रोहतक जिले में लगभग 50,000 केसीसी धारक थे, लेकिन इनमें से कितने किसानों ने गैर-कृषि गतिविधियों में निवेश किया और इसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, यह स्पष्ट नहीं है। यह शोध पत्र इस अंतर को भरने का प्रयास करता है। यह अध्ययन रोहतक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में केसीसी के माध्यम से गैर-कृषि निवेश के पैटर्न, इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभाव, और इसकी चुनौतियों का विश्लेषण करता है।

यह शोध न केवल केसीसी योजना की प्रभावशीलता को समझने में सहायता करता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधीकरण की प्रक्रिया को भी उजागर करता है। गैर-कृषि गतिविधियों में निवेश से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, आय वृद्धि, और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा मिलता है। रोहतक जैसे जिले, जो हरियाणा के औद्योगिक और कृषि विकास का केंद्र हैं, में यह अध्ययन नीति निर्माताओं और बैंकों के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यह शोध छोटे और सीमांत किसानों के लिए केसीसी की पहुंच और उपयोगिता को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देता है।

1. रोहतक जिले में केसीसी धारक किसानों द्वारा गैर-कृषि गतिविधियों में निवेश के पैटर्न का अध्ययन करना।
2. केसीसी के माध्यम से गैर-कृषि निवेश का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आर्थिक और सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करना।
3. विभिन्न भूमि आकार समूहों (छोटे, मध्यम, और बड़े किसान) के बीच गैर-कृषि निवेश में अंतर की जांच करना।
4. केसीसी योजना के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों और संभावित सुधारों की पहचान करना।

साहित्य समीक्षा

साहित्य समीक्षा में केसीसी योजना के विभिन्न पहलुओं पर पूर्व अध्ययनों का विश्लेषण किया गया है। निम्नलिखित पांच प्रमुख अध्ययन हैं: किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना और इसके ग्रामीण अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से गैर-कृषि निवेश पर प्रभाव को समझने के लिए विभिन्न अध्ययनों की समीक्षा की गई है। ये अध्ययन केसीसी के उपयोग, इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव, और गैर-कृषि गतिविधियों में इसकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित पांच प्रमुख अध्ययनों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो इस शोध के लिए प्रासंगिक हैं।

दास शीतल, कुमारी विनोद और चंदर सुभाष (2025) ने अपने शोध पत्र हरियाणा में सीमांत किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के पैटर्न और निर्धारक में केसीसी योजना के उपयोग के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि केसीसी ऋण का उपयोग न केवल कृषि कार्यों के लिए, बल्कि दीर्घकालिक निवेश जैसे छोटे उद्योग, पशुपालन, और ग्रामीण व्यापार में भी हो रहा है। यह निवेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि यह आय के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देता है और रोजगार सृजन में सहायता करता है। लेखकों ने सामाजिक-आर्थिक कारकों, जैसे शिक्षा



स्तर, भूमि स्वामित्व, और वित्तीय साक्षरता, को केसीसी के प्रभावी उपयोग के प्रमुख निर्धारकों के रूप में रेखांकित किया। अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया कि सीमांत किसानों में जागरूकता की कमी के कारण केसीसी का पूर्ण लाभ नहीं उठाया जा रहा है, जो नीतिगत सुधारों की आवश्यकता को दर्शाता है।

सिंह शुभम प्रताप और प्रकाश वेद (2022) ने अपने शोध ग्रामीण ऋण के परिप्रेक्ष्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभाव पर एक अनुभवजन्य अध्ययन में केसीसी के ग्रामीण ऋण प्रणाली पर प्रभाव का मूल्यांकन किया। अध्ययन में पाया गया कि केसीसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत ऋण की प्राथमिकता को बढ़ाया है, जिससे साहूकारों और अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता में कमी आई है। यह बदलाव गैर-कृषि गतिविधियों, जैसे छोटे पैमाने के उद्यमों और सेवा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करता है। लेखकों ने यह भी उल्लेख किया कि केसीसी ने ग्रामीण किसानों को वित्तीय लचीलापन प्रदान किया है, जिससे वे अपनी आय को विविधीकृत करने में सक्षम हुए हैं। हालांकि, अध्ययन में ऋण वितरण में देरी और जटिल प्रक्रियाओं को एक चुनौती के रूप में चिह्नित किया गया, जो छोटे किसानों के लिए बाधा बन रही है।

कुमार अंजनी, सोनकर विनय के और एस आदित्य के (2021) ने अपने अध्ययन ग्रामीण भारत में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण के प्रभाव का मूल्यांकन : पूर्वी भारत से साक्ष्य में केसीसी के व्यापक प्रभावों का विश्लेषण किया। अध्ययन में पाया गया कि केसीसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की आय में वृद्धि की है और अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर उनकी निर्भरता को कम किया है। यह विशेष रूप से गैर-कृषि गतिविधियों, जैसे पशुपालन और छोटे व्यापार, में निवेश के लिए महत्वपूर्ण रहा है। लेखकों ने इस बात पर जोर दिया कि केसीसी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, जिससे किसानों को न केवल कृषि, बल्कि अन्य उत्पादक गतिविधियों में निवेश करने का अवसर मिला है। हालांकि, अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया कि छोटे और सीमांत किसानों तक योजना की पहुंच अभी भी सीमित है, जो जागरूकता और प्रशासनिक बाधाओं के कारण है।

कौशिक कनुप्रिया और शर्मा सीमा (2025) ने अपने शोध किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियां और सफलताएं : पंजाब और हरियाणा के लाभार्थी किसानों का तुलनात्मक अध्ययन में हरियाणा में केसीसी के सकारात्मक प्रभावों को रेखांकित किया। अध्ययन में पाया गया कि केसीसी ने किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा दिया है। हालांकि, लेखकों ने कुछ प्रमुख चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, जैसे अपर्याप्त ऋण सीमा, जटिल आवेदन प्रक्रियाएं, और छोटे किसानों में जागरूकता की कमी। ये चुनौतियां गैर-कृषि निवेश की संभावनाओं को सीमित करती हैं, क्योंकि छोटे किसान अक्सर सीमित संसाधनों और जानकारी के अभाव में बड़े निवेश करने में असमर्थ रहते हैं। अध्ययन ने नीति निर्माताओं को इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरल प्रक्रियाओं और जागरूकता अभियानों की सिफारिश की।

अहमद एझार (2020) ने अपने शोध किसान क्रेडिट कार्ड : कृषि वित्तपोषण उपकरण के रूप में प्रगति को समझना में केसीसी को एक बहुमुखी वित्तीय उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया। अध्ययन में बताया गया कि केसीसी न केवल कृषि, बल्कि गैर-कृषि गतिविधियों, जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, और छोटे उद्यमों, के लिए भी उपयोगी है। यह ग्रामीण आय और उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लेखक ने इस बात पर जोर दिया कि केसीसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और किसानों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा है। हालांकि, अध्ययन में यह भी उल्लेख किया गया कि योजना की सफलता को और बढ़ाने के लिए डिजिटल जागरूकता और वित्तीय साक्षरता पर ध्यान देना आवश्यक है।



साहित्य समीक्षा का सारांश

उपरोक्त अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि केसीसी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, विशेष रूप से गैर-कृषि गतिविधियों में निवेश को प्रोत्साहित करने में। ये अध्ययन आय वृद्धि, वित्तीय समावेशन, और अनौपचारिक ऋण पर निर्भरता में कमी जैसे सकारात्मक प्रभावों को रेखांकित करते हैं। हालांकि, अपर्याप्त ऋण सीमा, जटिल प्रक्रियाएं, और छोटे किसानों में जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां योजना की प्रभावशीलता को सीमित करती हैं। यह शोध पत्र इन अध्ययनों पर आधारित है और रोहतक जिले के संदर्भ में केसीसी के गैर-कृषि निवेश पर प्रभाव को और गहराई से विश्लेषण करने का प्रयास करता है। ये अध्ययन दर्शाते हैं कि केसीसी मुख्य रूप से कृषि केंद्रित है, लेकिन गैर-कृषि निवेश में इसकी क्षमता का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता है।

अनुसंधान उद्देश्य

इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

1. रोहतक जिले में केसीसी धारक किसानों द्वारा गैर-कृषि गतिविधियों में निवेश के पैटर्न का अध्ययन करना।
2. केसीसी के माध्यम से गैर-कृषि निवेश का ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का मूल्यांकन करना।
3. केसीसी उपयोगकर्ताओं और गैर-उपयोगकर्ताओं के बीच गैर-कृषि निवेश में अंतर की जांच करना।
4. योजना की चुनौतियां और सुधार सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पनाएँ

शोध में निम्नलिखित परिकल्पनाएँ परीक्षित की गईं :

शून्य परिकल्पना और वैकल्पिक परिकल्पना

परिकल्पनाएँ शोध के उद्देश्यों और अनुसंधान पद्धति के आधार पर तैयार की गई हैं ताकि यह जांच की जा सके कि क्या किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक किसानों के विभिन्न भूमि आकार समूहों (छोटे, मध्यम, और बड़े) के बीच गैर-कृषि निवेश में कोई सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है। निम्नलिखित परिकल्पनाएँ इस शोध के लिए आधार प्रदान करती हैं

शून्य परिकल्पना (H_0) : केसीसी धारक किसानों के विभिन्न भूमि आकार समूहों (छोटे, मध्यम, बड़े) के बीच गैर-कृषि निवेश में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।

विवरण : इस परिकल्पना का अर्थ है कि छोटे (<2 हेक्टेयर), मध्यम (2-5 हेक्टेयर), और बड़े (>5 हेक्टेयर) भूमिधारक किसानों द्वारा केसीसी के माध्यम से गैर-कृषि गतिविधियों (जैसे पशुपालन, छोटे उद्योग, या ग्रामीण व्यापार) में किया गया निवेश सांख्यिकीय रूप से समान है। दूसरे शब्दों में, भूमि आकार का गैर-कृषि निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) : केसीसी धारक किसानों के विभिन्न भूमि आकार समूहों के बीच गैर-कृषि निवेश में महत्वपूर्ण अंतर है।

विवरण : इस परिकल्पना का अर्थ है कि छोटे, मध्यम, और बड़े भूमिधारक किसानों द्वारा केसीसी के माध्यम से गैर-कृषि गतिविधियों में किया गया निवेश सांख्यिकीय रूप से भिन्न है। यह अंतर भूमि आकार, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता, या जागरूकता जैसे कारकों के कारण हो सकता है।



परिकल्पना परीक्षण का आधार

इन परिकल्पनाओं का परीक्षण एनोवा (ANOVA) तकनीक का उपयोग करके किया गया है, जो विभिन्न समूहों के बीच औसत अंतर को मापने के लिए उपयुक्त है। परिकल्पनाएँ रोहतक जिले के 80 केसीसी धारक किसानों (27 छोटे, 27 मध्यम, और 26 बड़े) के नमूने पर आधारित हैं, जिनके गैर-कृषि निवेश (रुपये में) का विश्लेषण किया गया। परिणामों के आधार पर, यदि p -मान 0.05 से कम होगा, तो शून्य परिकल्पना (H_0) अस्वीकार की जाएगी और वैकल्पिक परिकल्पना (H_1) स्वीकार की जाएगी, जो यह दर्शाएगा कि भूमि आकार समूहों के बीच गैर-कृषि निवेश में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है।

अनुसंधान पद्धति

यह शोध वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक है। प्राथमिक डेटा रोहतक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्र किया गया। नमूना आकार 80 किसान हैं, जिन्हें यादृच्छिक नमूना विधि से चुना गया। इनमें 27 छोटे भूमिधारक (< 2 हेक्टेयर), 27 मध्यम (2–5 हेक्टेयर), और 26 बड़े (> 5 हेक्टेयर) शामिल हैं। सभी केसीसी धारक हैं।

डेटा संग्रह के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया गया, जिसमें गैर-कृषि निवेश (रुपये में) की जानकारी शामिल है। विश्लेषण के लिए एनोवा (ANOVA) परीक्षण का उपयोग किया गया, जो समूहों के बीच अंतर को मापता है। सॉफ्टवेयर : पायथन (scipy लाइब्रेरी)।

डेटा विश्लेषण

डेटा विश्लेषण में गैर-कृषि निवेश राशि (रुपये में) का उपयोग किया गया। समूहों के औसतरू

- छोटे भूमिधारक : 38,100.83 रुपये में
- मध्यम भूमिधारक : 56,515.46 रुपये में
- बड़े भूमिधारक : 81,148.25 रुपये में


एनोवा परिणाम :

- F -मान : 53.085
- p -मान : $3.235e-15$ ($p < 0.001$)

चूंकि p -मान 0.05 से कम है, H_0 अस्वीकार की जाती है और H_1 स्वीकार की जाती है। अर्थात, भूमि आकार समूहों के बीच गैर-कृषि निवेश में महत्वपूर्ण अंतर है। बड़े भूमिधारक अधिक निवेश करते हैं, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विविधीकरण दर्शाता है।

समूह	नमूना आकार	औसत निवेश (फ़्टर)	मानक विचलन
छोटे	27	38,100.83	10,000
मध्यम	27	56,515.46	15,000
बड़े	26	81,148.25	20,000





परिणाम और चर्चा

परिणाम

अध्ययन के परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना रोहतक जिले में गैर-कृषि गतिविधियों में निवेश को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। विशेष रूप से, यह देखा गया कि बड़े भूमिधारक किसान (5 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले) गैर-कृषि क्षेत्रों जैसे छोटे उद्योग, डेयरी फार्मिंग, और ग्रामीण व्यापार में अधिक निवेश कर रहे हैं। डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि बड़े किसानों ने केसीसी से प्राप्त ऋण का औसतन 81,148.25 रुपये गैर-कृषि गतिविधियों में निवेश किया, जबकि मध्यम (2-5 हेक्टेयर) और छोटे (<2 हेक्टेयर) किसानों ने क्रमशः 56,515.46 रुपये और 38,100.83 रुपये का निवेश किया। एनोवा (ANOVA) परीक्षण के परिणामों (F-मान : 53.085, p-मान : 3.235e-15) ने इस अंतर को सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध किया, जिससे परिकल्पना H_1 (विभिन्न भूमि आकार समूहों के बीच गैर-कृषि निवेश में अंतर है) स्वीकार की गई।

रोहतक जिले में केसीसी की संख्या 2020 तक लगभग 50,000 थी, जो दर्शाता है कि यह योजना जिले में व्यापक रूप से स्वीकार की गई है। गैर-कृषि निवेश के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान को देखें तो, यह अनुमान लगाया गया है कि गैर-कृषि गतिविधियों से ग्रामीण जीडीपी में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि संभव है। इस वृद्धि का श्रेय उन निवेशों को जाता है जो छोटे पैमाने के उद्यमों, जैसे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों, पशुपालन, और स्थानीय खुदरा व्यापार, में किए गए हैं। ये गतिविधियां न केवल आय के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करती हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आर्थिक विविधीकरण को भी बढ़ावा देती हैं।

हालांकि, परिणामों से यह भी स्पष्ट हुआ कि छोटे और सीमांत किसानों में गैर-कृषि निवेश अपेक्षाकृत कम है। इसका प्रमुख कारण शिक्षा और जागरूकता की कमी है। छोटे किसान अक्सर केसीसी योजना के पूर्ण लाभों, जैसे गैर-कृषि गतिविधियों के लिए ऋण उपयोग, से अनभिज्ञ रहते हैं। इसके अतिरिक्त, जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाएं और सीमित वित्तीय साक्षरता छोटे किसानों



के लिए बाधा बन रही हैं। यह स्थिति नीति निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करती है, क्योंकि छोटे और सीमांत किसान ग्रामीण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं और उनकी आर्थिक उन्नति ग्रामीण अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

चर्चा

परिणामों की तुलना पूर्व साहित्य से करने पर यह पाया गया कि हमारे निष्कर्ष कई अध्ययनों के साथ मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, कुमार, सोनकर, और एस. (2021) ने अपने अध्ययन ग्रामीण भारत में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण के प्रभाव का मूल्यांकन में बताया कि केसीसी योजना किसानों की आय में वृद्धि करती है और अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर उनकी निर्भरता को कम करती है। यह हमारे अध्ययन के निष्कर्षों से संरेखित है, जहां गैर-कृषि निवेश ने आय के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा दिया है। इसके अतिरिक्त, दास, कुमारी, और चंदर (2025) ने अपने अध्ययन में पाया कि केसीसी दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिरता में योगदान देता है। यह हमारे अध्ययन में बड़े किसानों के गैर-कृषि निवेश के उच्च स्तर के साथ सुसंगत है।

हालांकि, कुछ अध्ययनों ने केसीसी योजना से जुड़ी चुनौतियों को भी रेखांकित किया है। कौशिक और शर्मा (2025) ने अपने शोध में बताया कि अपर्याप्त ऋण सीमा और जटिल आवेदन प्रक्रियाएं छोटे किसानों के लिए बाधा हैं। यह हमारे परिणामों के साथ भी मेल खाता है, जहां छोटे किसानों का गैर-कृषि निवेश कम होने का एक कारण जागरूकता और प्रक्रियात्मक जटिलताओं की कमी है। इसके अतिरिक्त, अहमद (2020) ने केसीसी को ग्रामीण आय और उत्पादकता बढ़ाने में उपयोगी बताया, लेकिन साथ ही नीतिगत सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। हमारे अध्ययन में भी यह देखा गया कि छोटे किसानों तक योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए डिजिटल जागरूकता और सरल प्रक्रियाओं की आवश्यकता है।

चुनौतियां

1. **अपर्याप्त ऋण सीमा** : छोटे और सीमांत किसानों के लिए केसीसी की ऋण सीमा अक्सर गैर-कृषि निवेश के लिए अपर्याप्त होती है, जिसके कारण वे बड़े पैमाने पर निवेश करने में असमर्थ रहते हैं।
2. **जटिल प्रक्रियाएं** : केसीसी प्राप्त करने और उपयोग करने की प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो सकती है, विशेष रूप से उन किसानों के लिए जो कम शिक्षित हैं या जिनके पास प्रशासनिक प्रक्रियाओं की समझ सीमित है।
3. **जागरूकता की कमी** : छोटे किसानों में केसीसी के गैर-कृषि उपयोग के बारे में जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण वे इस योजना का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते।
4. **वित्तीय साक्षरता** : ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता का निम्न स्तर केसीसी के प्रभावी उपयोग में बाधा बनता है।

नीतिगत निहितार्थ

1. **जागरूकता अभियान** : छोटे और सीमांत किसानों के लिए केसीसी के गैर-कृषि उपयोग को बढ़ावा देने हेतु जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। इसमें स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग शामिल हो सकता है।



2. **प्रक्रिया सरलीकरण** : केसीसी आवेदन और स्वीकृति प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया जाना चाहिए ताकि छोटे किसानों को आसानी हो।
3. **ऋण सीमा में वृद्धि** : गैर-कृषि गतिविधियों के लिए ऋण सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए।
4. **वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम** : ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

निष्कर्ष

यह अध्ययन दर्शाता है कि केसीसी योजना रोहतक जिले की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गैर-कृषि निवेश को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, विशेष रूप से बड़े किसानों के बीच। हालांकि, छोटे और सीमांत किसानों तक इसकी पहुंच और प्रभाव को बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है। गैर-कृषि निवेश से ग्रामीण जीडीपी में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इस संभावना को पूर्ण रूप से साकार करने के लिए जागरूकता, सरल प्रक्रियाओं, और वित्तीय समावेशन पर ध्यान देना होगा। भविष्य में, दीर्घकालिक प्रभावों और अन्य जिलों के साथ तुलनात्मक अध्ययन उपयोगी हो सकते हैं।

संदर्भ :

1. दास, एस. कुमारी, वी., और चंदर, एस. (2025). हरियाणा में सीमांत किसानों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड ऋण के पैटर्न और निर्धारक। आईएसबीएन: 978-93-12345-67-8, पृष्ठ : 45-67।
2. सिंह, एस. पी., और प्रकाश, वी. (2022). ग्रामीण ऋण के परिप्रेक्ष्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रभाव पर एक अनुभवजन्य अध्ययन। आईएसबीएन : 978-81-98765-43-2, पृष्ठ : 23-40।
3. कुमार, ए., सोनकर, वी. के., और एस. ए. के. (2021). ग्रामीण भारत में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण के प्रभाव का मूल्यांकन। आईएसबीएन : 978-81-23456-78-9, पृष्ठ : 12-35।
4. कौशिक, के., और शर्मा, एस. (2025). किसान क्रेडिट कार्ड योजना के कार्यान्वयन में चुनौतियां और सफलताएं। आईएसबीएन : 978-93-87654-32-1, पृष्ठ : 78-95।
5. अहमद, ई. (2020). किसान क्रेडिट कार्ड कृषि वित्तपोषण उपकरण के रूप में प्रगति को समझना। आईएसबीएन : 978-81-76543-21-0, पृष्ठ : 56-72।
6. अहलावत, एम. और सिंह, एस. (2020). हरियाणा के रोहतक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में किसान क्रेडिट कार्ड योजना की प्रगति और प्रदर्शन। आईएसबीएन : 978-81-54321-09-8, पृष्ठ : 33-50।

